

झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023

[सभा द्वारा यथापारित]



सत्यमेव जयते

2023

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2023-24 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 11988,00,00,000 (ग्यारह हजार नौ सौ अठासी करोड़) रुपये की निकासी ।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
 - (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।
 - (iii) यह 1ली अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2023-24 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 11988,00,00,000 (ग्यारह हजार नौ सौ अठासी करोड़) रुपये की निकासी।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2023 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 11988,00,00,000 (ग्यारह हजार नौ सौ अठासी करोड़) रुपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी।

3. विनियोग।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल, 2023 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2024 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेंगी।

अनुसूची / Schedule					
(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)					
मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संघित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	राजस्व/Revenue	25,02,15,000		25,02,15,000
	Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Agriculture Division)	पूंजी/Capital			
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	राजस्व/Revenue	22,81,03,000		22,81,03,000
	Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Cabinet Secretariat and Co-ordination Division)	पूंजी/Capital			
6	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	राजस्व/Revenue	12,89,000		12,89,000
	Cabinet (Election) Department	पूंजी/Capital			
7	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	राजस्व/Revenue	20,40,000		20,40,000
	Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Vigilance Division)	पूंजी/Capital			
9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	राजस्व/Revenue	3,21,05,000		3,21,05,000
	Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Co-operative Division)	पूंजी/Capital			
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व/Revenue	54,99,75,52,000		70,33,75,52,000
	Energy Department	पूंजी/Capital	15,34,00,00,000		
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व/Revenue	17,00,000		17,00,000
	Excise and Prohibition Department	पूंजी/Capital			

12	वित्त विभाग	राजस्व/Revenue	11,34,67,000		11,34,67,000
	Finance Department	पूंजी/Capital			
13	ब्याज संदाय	राजस्व/Revenue		7,03,80,00,000	7,03,80,00,000
	Interest Payment	पूंजी/Capital			
14	ऋण की वापसी/अदायगी	राजस्व/Revenue		3,00,00,00,000	4,15,00,00,000
	Repayment of Loans	पूंजी/Capital		1,15,00,00,000	
17	वाणिज्यकर विभाग	राजस्व/Revenue	14,00,000		14,00,000
	Commercial Tax Department	पूंजी/Capital			
19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व/Revenue	3,71,69,43,000		3,71,69,43,000
	Forest, Environment and Climate Change Department	पूंजी/Capital			
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व/Revenue	82,06,94,000		4,05,37,61,000
	Health , Medical Education and Family Welfare Department	पूंजी/Capital	3,23,30,67,000		
21	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	राजस्व/Revenue	24,20,88,000		24,20,88,000
	Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)	पूंजी/Capital			
22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	राजस्व/Revenue	2,70,71,90,000		5,87,60,50,000
	Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)	पूंजी/Capital	3,16,88,60,000		
24	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	राजस्व/Revenue	1,70,00,000		1,70,00,000
	Information and Public Relation Department	पूंजी/Capital			
25	कोषागार एवं सांस्थिक वित्त	राजस्व/Revenue	4,71,73,000		8,10,36,000
	Treasury & Institutional Finance	पूंजी/Capital	3,38,63,000		
26	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	राजस्व/Revenue	81,45,000		81,45,000
	Labour, Employment, Training and Skill Development Department	पूंजी/Capital			
27	विधि विभाग	राजस्व/Revenue	12,65,84,000		12,65,84,000
	Law Department	पूंजी/Capital			

28	झारखण्ड उच्च न्यायालय	राजस्व/Revenue		7,02,00,000	7,02,00,000
	High Court of Jharkhand	पूंजी/Capital			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व/Revenue	27,60,000		27,60,000
	Mines and Geology Department	पूंजी/Capital			
32	विधान सभा	राजस्व/Revenue	1,71,29,000		1,71,29,000
	Legislative Assembly	पूंजी/Capital			
33	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	राजस्व/Revenue	41,08,69,000		41,08,69,000
	Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department (Personnel and Administrative Reforms Division)	पूंजी/Capital			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व/Revenue	25,80,000		25,80,000
	Planning and Development Department	पूंजी/Capital			
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व/Revenue	9,29,000		39,17,01,000
	Drinking Water and Sanitation Department	पूंजी/Capital	39,07,72,000		
38	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	5,00,00,000		5,00,00,000
	Revenue, Registration and Land Reforms Department (Registration Division)	पूंजी/Capital			
39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	1,51,59,15,000		1,51,59,15,000
	Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management Division)	पूंजी/Capital			
40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	राजस्व/Revenue	1,14,01,000		1,14,01,000
	Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land Reforms Division)	पूंजी/Capital			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व/Revenue	17,07,000		17,07,000
	Road Construction Department	पूंजी/Capital			
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व/Revenue	5,73,29,84,000		5,74,29,84,000
	Rural Development Department	पूंजी/Capital	1,00,00,000		

44	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	राजस्व/Revenue	7,00,000		7,00,000
	School Education and Literacy Department	पूंजी/Capital			
45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	राजस्व/Revenue	6,39,99,000		6,39,99,000
	Information Technology and e-Governance Department	पूंजी/Capital			
46	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)	राजस्व/Revenue	30,000		30,000
	Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)	पूंजी/Capital			
47	परिवहन विभाग	राजस्व/Revenue	30,05,00,000		30,05,00,000
	Transport Department	पूंजी/Capital			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व/Revenue	9,27,49,26,000		9,27,49,26,000
	Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)	पूंजी/Capital			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व/Revenue	2,40,000		2,40,000
	Water Resources Department	पूंजी/Capital			
51	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	राजस्व/Revenue	10,16,00,000		10,16,00,000
	Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Division)	पूंजी/Capital			
52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	राजस्व/Revenue	1,94,000		1,94,000
	Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Sports and Youth Affairs Division)	पूंजी/Capital			

54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	राजस्व/Revenue	1,80,00,00,000		1,80,00,00,000
	Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Dairy Division)	पूंजी/Capital			
55	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व/Revenue	6,11,71,000		11,11,71,000
	Rural Works Department	पूंजी/Capital	5,00,00,000		
56	पंचायती राज विभाग	राजस्व/Revenue	23,09,00,000		23,09,00,000
	Panchayati Raj Department	पूंजी/Capital			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	राजस्व/Revenue	16,28,23,000		16,28,23,000
	School Education and Literacy Department (Secondary Education Division)	पूंजी/Capital			
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	राजस्व/Revenue	25,00,000		25,00,000
	School Education and Literacy Department (Primary and Adult Education Division)	पूंजी/Capital			
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	राजस्व/Revenue	3,02,56,93,000		3,33,56,93,000
	Women, Child Development and Social Security Department	पूंजी/Capital	31,00,00,000		
योग / Total		राजस्व/Revenue	86,08,52,38,000	10,10,82,00,000	96,19,34,38,000
		पूंजी/Capital	22,53,65,62,000	1,15,00,00,000	23,68,65,62,000
महायोग / Grand Total			1,08,62,18,00,000	11,25,82,00,000	1,19,88,00,00,000

यह विधेयक झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023 दिनांक 01 अगस्त, 2023 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 01 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष।